प्रेस विज्ञप्ति

रीको औद्योगिक क्षेत्रों के आवंटियों के बकाया भुगतान केवल ऑनलाईन जमा होंगे।

रीको प्रबंधन ने राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों के आवंटियों द्वारा जमा कराई जाने वाली राशियों को 01.04.2023 से केवल ऑनलाईन प्राप्त करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में विकास शुल्क, सेवा शुल्क, आर्थिक किराया, जल आपूर्ति शुल्क स्थानांतरण, सब–डिवीजन एवं अन्य राशि संबंधित रीको इकाई कार्यालय के बैंक खाते में प्राप्त की जा रही थी। बैंक खाते में जमा राशि को संबंधित आवंटी के प्लॉट के विरूद्ध समायोजन में समय लगने से सेवा प्रदान करने में भी देरी होती थी।

SSO-ID के माध्यम से रीको ई.आर.पी. पर राशि जमा कराने हेतु नेट बैंकिग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, यूपीआई के साथ–साथ बैंक शाखा में चालान के माध्यम से राशि जमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। इकाई कार्यालय के बैंक खातों में **SSO-ID** के माध्यम के बिना किए गए भुगतान को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में रीको मुख्यालय द्वारा सभी इकाई कायार्लयों को समस्त आवंटियों का ऑनलाईन रिकॉर्ड अपडेट करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं तथा भूखण्डधारियों/आवंटियों की मदद के लिए प्रत्येक इकाई कार्यालय पर एक **Helpdesk** भी स्थापित की गई है।

(शिव प्रसाद नकाते)
प्रबंध निदेशक
रीको